



Neutral Citation No. – 2026:AHC:173685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 29089 वर्ष 2026

हर्ष गौतम

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

संजय कुमार त्रिपाठी, योगेश कुमार तिवारी

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार तिवारी तथा श्री संजय कुमार त्रिपाठी एवं राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अधि. श्री इमरान खान को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-63 सन् 2026, धारा 103(1), 78(1), 238 भा.न्या.सं., थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर के अधीन आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक और मृतका के बीच प्रेम संबंध था, परंतु जब मृतका का विवाह उसके साथ संपन्न नहीं हो सका तो उसने उसकी हत्या कर दी, परंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप झूठे हैं।
4. उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह भी परिलक्षित होता है कि वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतका के चाचा द्वारा दर्ज कराई गई थी जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब मृतका की माँ का बयान दर्ज किया गया तो उसने कहा कि उसके सामने आवेदक ने मृतका को चोट पहुंचाई, परंतु उसका बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता और यह परिलक्षित होता है कि यह एक अस्पष्ट हत्या का मामला है और वास्तविक घटना को कोई नहीं देख सका तथा चूंकि आवेदक का मृतका के साथ प्रेम संबंध था और मृतका के परिवार के सदस्य उनके संबंध का विरोध कर रहे थे, इसलिए उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में यह ऑनर किलिंग का मामला है और मृतका के परिवार के सदस्यों ने उसकी हत्या की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मृतका आवेदक के साथ विवाह करे।
7. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.04.2026 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क से इनकार नहीं कर सके।
9. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
10. हालांकि, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक ने सूचनादाता की भतीजी की हत्या की क्योंकि उसका मृतका के साथ प्रेम संबंध था और वह उसके साथ विवाह करने को तैयार नहीं थी, परंतु मामले का सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
11. इसके अलावा, यद्यपि अन्वेषण के दौरान मृतका की माँ सावित्री देवी का बयान दर्ज किया गया और उसने कहा कि उसके सामने आवेदक ने मृतका को चोट पहुंचाई, परंतु प्रथम दृष्टया उसका बयान विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। यह परिलक्षित होता है कि मृतका की माँ सावित्री देवी के बयान के अतिरिक्त, कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं है।
12. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 23.04.2026 से जेल में है।
13. अतः, मामले के उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
15. आवेदक-**हर्ष गौतम** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण की अवधि में मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

18 अगस्त, 2026

शहरोज़

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”